Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 ◘ अंक- 72 ◘ रायपुर, सोमवार 6 अप्रैल 2026 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा स्थापना दिवस पर किया ध्वजारोहण, कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं

रायपुर, 6 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विधिवत ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा और संगठन की ताकत ही उसे लगातार आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे।

एमपी सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के हार्वेस्टर ऑपरेटर की मौतः 1 घायल, देर रात कटनी जिले की घटना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (न्यूज चैनल)। जिले के ढीमरखेड़ा इंद्रा कालोनी के पास देर रात हार्वेस्टर और बाइक में टक्कर से बाइक सवार छत्तीसगढ़ के हार्वेस्टर ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान होरीलाल पिता अशोक बघेल उम्र 26 वर्ष ग्राम मोहतरा देऊर, थाना साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। घटना में बाइक सवार झिन्ना पिपरिया गांव के विपिन श्रीवास्तव भी घायल हुआ है जिसे गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया पान भिजवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में गेहूं कटाई चल रही है जिसमें दूसरे प्रदेशों से हार्वेस्टर वाहनों में प्रतिद्वंदिता मची रहती है और आए दिन घटनाएं होती रहती है। देर रात हुई घटना में ग्रामीणों ने हार्वेस्टर चालक को पकड़ कर डायल 112 के हवाले किया था।

शरद पवार और रामदास अठावले समेत 19 नए सदस्यों ने ली शपथ

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (न्यूज चैनल)। एनसीपी-एससीपी नेता शरद पवार और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत राज्यसभा के 19 नए सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली। राज्यसभा अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन की उपस्थिति में शपथ ली गई। राज्यसभा कक्ष में आयोजित समारोह के दौरान उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। सदन में संबंधित दलों के सदन नेता भी उपस्थित थे।

बिरादरी की बात

चूहा- अमित जोगी को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चुहिया- हां जी, न्यायिक व्यवस्था को कौन नकार सकता है..!

जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर/बिलासपुर, 6 अप्रैल (हाईवे चैनल)। साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील (ACQA No. 66/2026) को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। हाईकोर्ट का यह फैसला 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। उस समय स्पेशल जज (एंटीसिटी) रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया जाना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर दिया जाना कानूनी रूप से असंगत और गलत है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला रीओपन किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी।

4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाटक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया। कारोबारी बैकग्राउंड वाले रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ गए। विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया था।

ये पाए गए थे दोषी

जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लक्ष्न, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे।

न्यायालय का निर्णय उचितः मुख्यमंत्री

पत्रकारों से चर्चा के दौरान ही मुख्यमंत्री साय ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देर आए, दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमित जोगी मुख्य आरोपी रहे हैं और न्यायालय का निर्णय उचित है।

उम्रकैद के फैसले का सतीश जग्गी ने किया स्वागत, कहा- अमित जोगी को मिले फांसी, पासपोर्ट जब्त हो

चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत की। उन्होंने इसे न्याय की जीत कहा है। 23 वर्षों के बाद परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि इन 23 वर्षों में हमें राजनीतिक शक्तियों के साथ मनी पॉवर से भी लड़ना पड़ा। सतीश जग्गी ने मांग की है कि अमित जोगी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनका पासपोर्ट भी जब्त होना चाहिए।

एनएच-130 पर भीषण हादसा

तेज रफ्तार कार ने महिलाओं को मारी टक्कर, 3 की मौके पर ही मौत

भीड़ ने नशेड़ी चालक को जमकर पीटा

अंबिकापुर, 6 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रविवार रात भीषण सड़क हादसा में तीन महिलाओं की मौके पर मौत हो गई. नेशनल हाइवे 130 पर तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रही महिलाओं को जोरदार टक्कर मारी. मौके पर ही तीनों महिला ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि चालक नशे में धुत था. हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने भी चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे सीएचसी में भर्ती कराया है. घटना मणिपुर थाना के भिठ्ठीकला गांव के पास की है।

जानकारी के अनुसार, भिठ्ठीकला के साप्ताहिक बाजार में तीन महिला सब्जी बेचने के लिए जोगीबांध गांव से आई थी. लगभग 7 बजे जब महिलाएं वापस लौटने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई. मृतकों की पहचान 60 बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई, राम बाई और 55 वर्षीय महिला के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करते हुए चालक को किसी तरह भीड़ से निकालकर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज जारी है. वहीं मृतकों के शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मर्चुरी के लिए भेज दिया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 4 लाख देने का भी आदेश

बिलासपुर, 6 अप्रैल (हाईवे चैनल)। नाबालिक को भागकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. तखतपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में जिला एवं जिला न्यायालय में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी पास्को अधिनियम पीठासीन अधिकारी पूजा जायसवाल की अदालत ने आरोपी जयकुमार लहरे उर्फ कलुआ को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने 4 लाख पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

न्यायालय ने इस घटना को अपराधिकृत मानते हुए टिप्पणी की है कि जिस समय नाबालिक पीड़िता को भगा कर ले गया. अपराधी घटना की गई उसमें पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी. पीड़ित बच्चों के मन में उसके स्वास्थ्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. न्यायालय ने कहा है कि आरोपी युवक का यह कृत्य पीड़ित बच्चों के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा. स्वास्थ्य विकास पर भी पड़ेगा. घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्षों से कम थी. इसलिए हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद आरोपी जय कुमार लहरें को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. साथ ही शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा नंदी ने पैरवी की है।

तखतपुर थाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने 2024 को थाना तखतपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक पुत्री को 8 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे बिना बताए कहीं चली गई है और आज तक वापस नहीं आई है. पूछताछ के दौरान पतासाजी में रिश्तेदारी में पता चला कि किसी ने बहला-फुसलाकर कर उनकी नाबालिक बेटी को अपहरण करके ले गया है. पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया कि आरोपी ने ही नाबालिक को भगा कर ले गया है।

ईरान पर इस्त्राइल के हवाई हमले तेज, 25 की मौत

ईरान-अमेरिका सीजफायर वार्ता अंतिम चरण में, ट्रंप आज रात 10:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (न्यूज चैनल)। राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 1 बजे (भारत में रात 10:30 बजे) व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोमवार को इस्त्राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों की श्रृंखला में ईरान में 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके जवाब में तेहरान ने इस्त्राइल और उसके खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागीं। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई समयसीमा नजदीक आ गई है।

तेहरान में रातभर विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं और राजधानी के ऊपर घंटों तक नीचे उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई देती रही। एक हमले में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आजादी चौक के आसपास काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस्त्राइली अधिकारियों के अनुसार, हाइफा में एक रिहायशी इमारत के मलबे से दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। इसी दौरान सोमवार तड़के ईरान की ओर से उत्तरी इस्त्राइल पर नए मिसाइल हमले भी किए गए। ईरान की राजधानी तेहरान प्रांत में अमेरिकी और इस्त्राइली हमलों के दौरान चार लड़कियों और दो लड़कों समेत छह बच्चों की मौत हो गई। यह जानकारी ईरानी मीडिया एजेंसी फार्स न्यूज ने दी। रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला बहारेस्तान काउंटी के एक रिहायशी इलाके पर हुआ था, जहां पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इस्त्राइली सेना ने घोषणा की कि तेहरान में सरकारी ढांचे पर हमलों की एक लहर पूरी कर ली गई है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी तेहरान में चार और बहारेस्तान काउंटी में 13 लोगों की मौत हुई है। इस्त्राइल के उत्तरी शहर हाइफा में ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ। चैनल 12 के मुताबिक, शहर के 10 से अधिक स्थानों को निशाना बनाया गया। हालांकि, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुए। वीडियो और तस्वीरों में इमारतों और सड़कों को मामूली नुकसान पहुंचा और एक कार में आग लगने की जानकारी सामने आई।

गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में बढ़ा आगजनी का खतरा, विभाग द्वारा हो रहे सुरक्षा के उपाय

फायर लाईन बनाकर, जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से व फायर वाचर तैनात कर सख्त हिदायत देकर किया जा रहा आगजनी से बचाव का प्रयास

धमतरी 6 अप्रैल (हाईवे चैनल)। गर्मी की शुरुवात हो चुकी है। मार्च माह के शुरुवात से ही तापमान में वृद्धि लगातार दर्ज की जा रही है। वर्तमान में पारा 38 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। जो कि तेजी से और बढ़ेगा। गर्मी के मौसम में आगजनी का खतरा काफी बढ़ जाता है। जंगलो में भी भीषण आगजनी का खतरा रहता है। एक तिनके के आग पकड़ने से बड़ा क्षेत्र आग की जद में आ जाता है ऐसे में आगजनी से बचाव हेतु सावधानी व उपाय आवश्यक है।

फाईल फोटो

लोगों की लापरवाही, महुआ संग्रहण के लिए लगाये गये आग से जंगलों में ज्यादातर होती है आगजनी

बता दे कि धमतरी जिला वनों से घिरा हुआ है। अधिकांश भू भाग पर वन है। ऐसे में वन विभाग द्वारा वनों को आग से बचाने विशेष प्रयास हर साल किये जाते है। इस साल भी प्रयास किये जा रहे है। ज्ञात हो कि जंगलो में आग लगने के कई कारण होते है। जिनमें सबसे प्रमुख कारण वनोपज या महुआ संग्रहण के लिए ग्रामीणों द्वारा वनो में आग लगाना है। चूंकि सूखे पत्तों में महुआ वनोपज नजर नहीं आता इसलिए बीनने में परेशानी होती है। ऐसे में सुविधा हेतु महुआ पेड़ के नीचे आग लगा दिया जाता है। जिससे आसानी से महुआ एकत्रित किया जाता है। इस दौरान हवा के साथ आग फैलने लगता है। और कई बार जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है, वहीं बीड़ी, सिगरेट पीने के बाद कोई भी जंगलो या जंगल वाले मार्ग पर सड़क किनारे फेंक देने से भी आग फैलने का खतरा रहता है। कई बार कुछ लोगों द्वारा पिकनिक या इंजाय आदि हेतु जंगल या वनो के बीच खाना बनाकर खाया जाता है। इससे भी आग फैलने का खतरा रहता है। उक्त खतरे से बचने हेतु वन विभाग द्वारा फायर लाईन जंगल वाले मार्गो के किनारे बनाया जा रहा है। ताकि आग लगे भी तो सीमित दायरे में बुझ जाये, वहीं विभाग द्वारा फायर वाचर तैनात किया गया है। जो वनो में आग की स्थिति की निगरानी करते है। जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित कर ग्रामीणों को जागरुक किया जाता है। साथ ही जंगलो में आग न लगाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। बताया जा रहा है कि यह दण्डनीय अपराध है।

थर्मल ड्रोन से निगरानी

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व क्षेत्र के उपनिदेशक वरुण जैन के प्रयासों से एक उन्नत तकनीक का थर्मल ड्रोन विभाग से मिला है। जिससे 5 से 10 किमी दूर तक थर्मल स्कैन कर आग का पता लगाया जा सकता है। इससे आगजनी को समय रहते बुझा कर पूरे क्षेत्र में फैलने से रोका जा सकता है। थर्मल ड्रोन की मदद से उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व क्षेत्र में न सिर्फ वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है बल्कि जंगली जीव जंतुओं की सुरक्षा भी पुख्ता हो पा रही है।

असम में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले- दिल्ली का शाही परिवार इस बार अपनी हार का शतक लगाएगा

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार असम की जनता दो बड़े फैसले करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला, राज्य में भाजपा-एनडीए सरकार की हैट्रिक तय है। वहीं दूसरा, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठा शाही परिवार इस बार अपनी हार का शतक लगाएगा और असम की जनता ही इसे संभव बनाएगी। रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी दीर्घकालिक विकास की सोच के साथ काम नहीं करती और अल्पकालिक राजनीति के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जबकि भाजपा दीर्घकालिक दृष्टि के साथ देश के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम में शांति और स्थिरता स्थापित करने पर ध्यान दिया गया और आने वाले वर्षों में राज्य की समृद्धि को और विस्तार दिया जाएगा।

मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सभी दलों से एकजुट समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुला रही है और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया है कि देश की महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस अहम कानून को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बिल सभी राज्यों के हित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या नियंत्रण अधिक है, वहां प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। सरकार महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था कर रही है और कुल सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मोदी ने खास तौर पर असम की महिलाओं से अपील की कि वे सभी दलों के नेताओं पर इस कानून को पारित कराने के लिए दबाव बनाएं।